राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
Office of the D.G. & I.G. Jail, Jaipur (Raj.)
क्रमांकः–एफ / कारा / आह0वि0अधि0 / 2013–14 / 24035-290 दिनांकः 21/8/13.

–:: परिपत्र ::–

विभागीय आदेश क्रमांक एफ / कारा / सैटअप / आह0वि0अधि0 / 2013–14 / 22282–457 दिनांक 08.08.2013 के अनुक्रम में उप कारागृहों के संचालन के संबंध में निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते है :–

1. अधीनस्थ उप कारागृहों के वित्तीय लेखा संबंधी रिकार्ड संधारण जिला कारागृह पर किया जायेगा।
2. बजट नियंत्रण एवं व्यय का कार्य उपाधीक्षक, जिला कारागृह द्वारा किया जाऐगा।
3. प्रत्येक उप कारागृह के लिए इम्प्रेस्ट की राशि रू. 3,000/– निर्धारित की जाती है। प्रत्येक उप कारागृह को राशि रू. 3,000/– अग्रिम के रूप में सहायक कारापाल/कारापाल को जारी की जाऐगी, जिसका दिन–प्रतिदिन के कार्यों हेतु उपयोग उप कारागृह, के कार्य में किया जावेगा। बिजली, पानी, दूरभाष एवं अन्य कार्यालय व्ययों के छुटपुट बिलों को इम्प्रेस्ट में से भुगतान किया जाकर लेखा प्रत्येक माह की 5 एवं 20 तारीख को जिला कारागृह को हिसाब प्रस्तुत किया जाऐगा। यदि बिलों की राशि के वाऊचर राशि रू. 1,000/– से ज्यादा के है, तो बिल, प्रमाणित कर जिला कारागृह को प्रेषित किये जावेंगे, जिनका भुगतान जिला कारागृह द्वारा कोषागार के माध्यम से सीधे ही संबंधित पक्ष के बैंक खातें में करवाया जाऐगा।
4. राशन ठेके सहित समस्त प्रकार के बिल जिला कारागृह के नाम से प्रस्तुत किये जाऐंगे, जिन्हें माह की 5 एवं 20 तारीख को नियमानुसार सत्यापित कर जिला कारागृह को भिजवाया जाऐगा।
5. ठेकेदारों एवं यात्रा, चिकित्सा आदि अन्य समस्त प्रकार के बिलों का भुगतान भी ई0सी0एस0 के माध्यम से जिला कोषागार के माध्यम से किया जाऐगा।
6. वेतन बिल दो प्रतियों में प्रत्येक माह की 20 तारीख को मय उपस्थिति पत्र के जिला कारागृह को प्रेषित किये जावेंगी, जिनको पारित कराने का कार्य जिला कारागृह का होगा।

उक्त आदेशों/निर्देशों के अनुक्रम में कोई कठिनाई/समस्या महसूस हो तो वित्तीय सलाहकार, कारागार विभाग, राजस्थान, जयपुर को अवगत कराया जावें। जिला कारागृह द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में व्यय संकलित रूप में मुख्यालय को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाऐगा।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप महानिरीक्षक, कारागार रेंज, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर।
2. विशेषाधिकारी, गृह (ग्रुप–2) (कारा)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी राजस्थान।
4. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
5. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी, केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह।
6. प्रभाराधिकारी, किशोर बन्दी सुधारगृह, जैतारण।
7. प्रभारी, खुला बन्दी शिविर, जैतसर।
8. वरिष्ठ निजी, सहायक, अति0 महानिदेशक, कारागार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. प्रभारी, समस्त अनुभाग, मुख्यालय कारागार, जयपुर।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर